

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 93/2014

1. सीताराम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सकराय तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सकराय तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/2022/3814 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 12.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर